

भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया एवं बाधाएँ

डा. लखनसिंह कुशरे

सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान

शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

शोध संक्षेप

भारत-पाकिस्तान विवाद न केवल दक्षिण एशिया अपितु विश्व के सबसे लम्बे, चर्चित, अनसुलझे एवं विवादित समस्याओं में से एक है। अंग्रेजी हुकुमत से भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सन् 1947 में हिंसात्मक विभाजन द्वारा दो नये स्वतंत्र देश अस्तित्व में आये। विभाजन के बाद दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर उपजा विवाद छह दशक से भी ज्यादा समय से निरन्तर दर्जनों वार्ताओं एवं बैठकों के बावजूद ज्यों की त्यों विद्यमान है। इस बीच दोनों मुल्क सैन्य मोर्चे पर चार बार आमने-सामने हो चुके हैं और दर्जन से अधिक बार सैनिक टकराव की स्थिति होते-होते टल गई। क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प है दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने का ? स्थापित सत्य है कि बारूद और बातचीत का प्रयोग साथ-साथ नहीं किया जा सकता और न ही बंदूक की नली द्वारा वास्तविक शांति स्थापित की जा सकती है। अर्थात् विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए सकारात्मक संवाद अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। इस हेतु अभी तक किये गये दोनों देशों द्वारा तमाम शांति प्रयास परस्पर विवादों को सुलझाने में असफल सिद्ध हुये हैं। क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थायित्व के लिए परस्पर बातचीत द्वारा सभी समस्याओं को हल किया जाना आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जब विगत अथवा भविष्य की सम्भावित शान्ति प्रयास में बाधक बनने वाले सभी कारकों पर समुचित चिंतन, मनन, अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत-पाकिस्तान शान्ति प्रक्रियाओं के समक्ष उपस्थित व्यवहारिक बाधाओं का तार्किक विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

विकास एवं खुशहाली के लिए जाने वाला मार्ग प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में विवाद, टकराव एवं समस्याएं आना स्वाभाविक दशा है। वक्त के साथ उनकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है। विश्व की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और कनाडा के बीच हजारों किमी. लम्बी सीमा है परन्तु शायद ही विश्व समुदाय दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अथवा अन्य किसी तरह के विवाद को लेकर किसी टकराव के बारे में सुना हो। ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच कोई विवाद न हो। यूरोपीय देशों में लोग मोटर सायकिल से एक देश से दूसरे देश में बड़ी आसानी से आ जा

सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार जिस देश के साथ भौगोलिक सीमा लगती है वह देश प्राकृतिक शत्रु होता है। यह बात आज भारत, पाकिस्तान एवं चीन पर ही सबसे ज्यादा चरितार्थ हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही अगस्त 1947 में विश्व के मानचित्र में नवीन स्वतंत्र मुल्क पाकिस्तान का उदय हुआ। हिन्दु और मुसलमान बहुल जनसंख्या के आधार पर दो राज्यों के बंटवारे से जगह-जगह पर साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसकी आग में दोनों धर्मावलम्बी के हजारों लोग मारे गये। सन् 1947 में ब्रिटिश भारत के सभी 565 राज्यों को यह चुनने की स्वतंत्रता थी कि वे भारत व पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हो सकते थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और



जम्मू-कश्मीर रियासत जो कि मुस्लिम बहुल थे, को छोड़कर सभी रियासत भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो गये। तब आज का पाकिस्तान पूर्वी (अब बंगलादेश) एवं पश्चिमी हिस्सों (जो आज पाकिस्तान अस्तित्व में है) में बंटा हुआ था। आजाद भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सफल कूटनीतिक प्रयासों के फलस्वरूप हैदराबाद एवं जूनागढ़ का बाद में भारत में विलय हो गया। असंमन्जसवश जम्मू-कश्मीर रियासत ने किसी भी मुल्क में शामिल न होकर तटस्थ रहना ही उचित समझा। परन्तु पाकिस्तान ने अपनी सेना की सहायता से स्थानीय कबीलाईयों के नाम से जम्मू-कश्मीर पर उत्तर-पश्चिम दिशा से 22 अक्टूबर 1947 को एकतरफा आक्रमण कर राज्य के क्षेत्र को बड़ी तेजी से अधिग्रहित करना शुरू कर दिया। रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह अपने लगभग 6000 पुलिस बल के द्वारा इस आक्रमण को रोकने में असमर्थता महसूस करने लगे और उन्होंने भारत से मदद की अपील की। भारत ने जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में विलय की शर्त पर सैन्य मदद देने की शर्त रखी और अन्ततः 26 अक्टूबर 1947 को दिल्ली में महाराजा हरिसिंह ने जम्मू-कश्मीर रियासत के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत ने तेजी से वायुयान द्वारा बारामूला हवाई अड्डे पर अपने सैन्य बल उतारे और स्थिति पर नियन्त्रण पाने की कोशिश करने लगे। भारत को धीरे-धीरे सैन्य मोर्चे पर सफलता मिलने लगी तथा पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। युद्ध की रोकथाम हेतु कूटनीतिक प्रयास भी बराबर जारी रहे और अन्ततः 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ के

प्रयास से युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के समय भारत जम्मू-कश्मीर राज्य के 45 फीसदी एवं पाकिस्तान 55 फीसदी भू-भाग पर काबिज था। युद्ध विराम के समय निर्मित 814 किमी लम्बी नियन्त्रण रेखा, जो भारत और पाकिस्तान को राज्य में अलग करता है जम्मू के अखनूर सेक्टर में मुनब्वर तवी के भूरेचक गांव से करगिल सेक्टर के सियाचिन हिमखण्ड के प्रारम्भिक बिन्दु एन.जे. 9842 तक है। एन.जे. 9842 से सियाचिन ग्लेशियर तक 124 किमी. लम्बी वास्तविक नियंत्रण रेखा है।¹ जम्मू-कश्मीर सीमा विवाद के अलावा सर क्रीक सीमा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर, तुलबुल नौ परिवहन परियोजना, बगलिहार परियोजना एवं सिन्धु जल बंटवारा 1960 जैसे अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर समय-समय पर टकराव की स्थिति बनते रहती है।

सन् 1947-48 युद्ध के बाद 1949 कराची समझौता, सन् 1965 युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 1966, सन् 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता जून 1972, 20 फरवरी सन् 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर बस यात्रा, जुलाई सन् 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुर्षरफ के बीच आगरा शिखर वार्ता एवं न जाने कितने ही मंत्री स्तरीय, सचिव एवं उच्च राजनयिक स्तर के वार्ता तथा बैठकों का निरन्तर आयोजन दोनों देशों के बीच होता रहा है परन्तु विश्वास बहाली के लिए किये जाने वाले तमाम प्रयास अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। विवाद जस के तस बने हुए हैं। उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुद्दे सुलझने के बजाये उलझने लगे हैं। कई ऐसे बाध्यकारी तत्व हैं जिनके कारण शान्ति प्रक्रियाएं

अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही हैं। इन तत्वों का अध्ययन दोनों मुल्कों के मधुर एवं रचनात्मक सम्बन्ध की दिशा में प्रासंगिक एवं समीचीन है। शोध की उपयोगिता एवं महत्व

1. शांति प्रक्रिया में बाधक तत्वों की पहचान एवं विश्लेषण करना।
2. जनमानस, सरकार एवं मीडिया को भारत-पाक शान्ति वार्ता की वास्तविकता से अवगत कराना।

शोध प्रविधि - शोध के प्रथम भाग में प्रस्तावना, शोध की उपयोगिता एवं महत्व, द्वितीय भाग में शांति प्रक्रिया में उपस्थित बाधाओं का वर्णन तथा अन्तिम भाग में निष्कर्ष है। शोध पत्र को तैयार करने में विभिन्न शोध पत्रिकाये, पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्रिकाये एवं इण्टरनेट पर विभिन्न साइट में दी गई जानकारी का समावेश किया गया है। शान्ति प्रक्रिया में उपस्थित बाधाये विश्वास बहाली का उपाय दो या अधिक पार्टियों (देशों) के बीच सूचना एवं जांच पड़ताल, विशेषकर सैनिक बलों एवं शस्त्रागारों से सम्बन्धित आदान-प्रदान से होता है। इनमें से ज्यादातर उपायों का उद्देश्य सैनिक क्षमता को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा सैनिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों की मनोदशा को स्पष्ट करना होता है।² भारत ने पाकिस्तान के साथ विश्वास बहाली के उपाय के अन्तर्गत रेल एवं बस सेवा का विस्तार, नौ परिवहन, वीजा अनुमति को सरल एवं आसान करने हेतु कैम्पों को स्थापित करने, सुरक्षा बलों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने, क्रिकेट सहित अन्य खेल सम्बन्धों की बहाली, हवाई यातायात की बहाली, मछुआरों को राहत, मिशन क्षमता जैसे उपाय सुझाते रहे हैं। परन्तु कुछेक उपायों को छोड़कर पाकिस्तान

अन्य बिन्दुओं पर कभी राजी नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि भारत-पाकिस्तान विवाद का अन्त होता प्रतीत नहीं हो रहा है! दोनों देशों के बीच शान्ति प्रक्रिया में अवरोधक बिन्दुओं का वर्णन निम्नानुसार है-

1. भारत के प्रति द्वेष - पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का वास्तविक कारण जम्मू-कश्मीर नहीं है। यदि जम्मू-कश्मीर राज्य भी उसे दे दिया जाये तो भी विवाद का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि विवाद की असली वजह है भारत के प्रति अत्यधिक द्वेष एवं नफरत। जिसके चलते वह विवाद की कोई अन्य वजह ढूँढ लेगा। साढ़े छह दशक का इतिहास गवाह है पाकिस्तानी जनता की चुनी हुई अथवा सैनिक हुकुमत कभी भी भारत से बेहतर रिश्ते बनाने के प्रति दृढसंकल्पित नहीं हुई, यही कारण है कि कोई भी समझौता या वार्ता या बैठक बेनतीजा ही साबित हुई है। एक अच्छे पड़ोसी की तरह पाकिस्तान को रहना नहीं आया है।
2. सीमा पार आतंकवाद - 1971 के युद्ध में बुरी तरह परास्त होने के बाद पाकिस्तान के सैन्य शासक जिया उल हक ने छद्म युद्ध की एक योजना बनायी, जिसे ओपरेशन टोपेक का नाम दिया गया। इस योजना के तीन चरणों के तहत भारी तादाद में भारत में घुसपैठ कराकर भारत की आन्तरिक व्यवस्था को ध्वस्त करके 1971 की पराजय का बदला लेना सुनिश्चित किया गया। इस कार्य का जिम्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. को सौंपा गया।³ जिसके बाद ही भारत में जम्मू-कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद की घटनाएं होने लगी और अभी तक 40 हजार से ज्यादा भारतीय निर्दोष व मासूम जानें आतंकवाद की बली चढ़ चुके हैं।

पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी जमीन में विघटनकारी तत्वों को तैयार कर लगातार घुसपैठ करा रहा है। आतंकवाद शान्ति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान अपने इस रवैये में जब तक सुधार नहीं करेगा, शान्ति प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं।

3. राजनीतिक अस्थिरता - अब यह पाकिस्तान की राजनीतिक हकीकत बन गई है कि जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार वहां कभी रास नहीं आती। सेना और सरकार में हमेशा ठनी रहती है। सेना बे-लगाम होकर तख्ता पलट के लिए तैयार बैठी हुई रहती है। यह स्थापित सत्य है कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते अथवा संधि का पालन करना बहुत मुश्किल है। न जनता को और न ही सरकार को यह पता हो कि आने वाले माह में कौनसी और किसकी हुकुमत होगी ? तब ऐसी ऊआपोह एवं असमन्जस में दो देशों के बीच शान्ति प्रक्रिया में गतिशीलता व स्थिरता की बात करना बेमानी है। विश्वासपूर्ण एवं मजबूत रिश्तों की बुनियाद के उद्देश्य से 20 फरवरी सन् 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर बस यात्रा की परिणति करगिल संघर्ष में हुई। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि जब वाजपेयी व नवाज शरीफ बातचीत में व्यस्त थे तो दूसरी तरफ तत्कालीन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ करगिल संघर्ष के लिए षडयंत्र रच रहे थे। यह पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाता है।

4. कश्मीर समस्या - वास्तविकता तो यह है कि कश्मीर समस्या को हल किये बिना भारत और पाकिस्तान के बीच कभी ठोस रिश्तों की बुनियाद स्थापित नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तानी सरकार समस्या की यथास्थिति में

अपना हित समझती है क्योंकि कश्मीर समस्या एवं भारत के प्रति नफरत उगलने पर ही वहां कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता के गलियारे तक पहुंचती है। क्रिकेट व अन्य खेलों की कूटनीति अथवा व्यापारिक आदान-प्रदान तनाव को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं परन्तु समाप्त नहीं कर सकते हैं। अभी तक सभी वार्ताओं में पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदों का कश्मीर समस्या के प्रति किसी ठोस बातचीत के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा है। कश्मीर समस्या वह नासूर है जिसका इलाज किये बिना अन्य जगहों पर मरहम लगाने से न दर्द कम होगा न ही नासूर ठीक होने वाला है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कश्मीर समस्या का कोई स्थाई समाधान निकाला जाये।

5. कट्टरपंथी ताकतें - पाकिस्तान में सरकार, सेना और कट्टरपंथी ताकतें एक पंक्तिबद्ध दिखाई देते हैं। जैश- ए-मोहम्मद, लश्कर- ए-तोयबा, हरकत-उल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जमायते इस्लामी जैसे वांछित आतंकवादी संगठनों के प्रमुख खुले आम पाकिस्तान में घूमते हैं और पाकिस्तानी सरकार लगातार उन्हें शह देती रही है। प्रो. हाफिज सईद, सईद सलालउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर, दाउद इब्राहिम जैसे आतंकी भारत में कश्मीर सहित देश के अन्य राज्यों में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। भारत अथवा विश्व समुदाय के बार-बार कहने पर भी अभी तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुशर्रफ सरकार ने कश्मीर के कथित जेहादियों के लिए पाकिस्तान में चंदा उगाहने वाले संगठनों पर रोक लगा दी थी और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई थीं। यह अलग बात है कि बाद में मुशर्रफ को भी कुछ भीतरी और बाहरी दबावों के चलते अपने

इस रुख से थोड़ा पीछे हटना पड़ा। श 4 उपर्युक्त कट्टरपंथी ताकतों को अच्छी तरह पता है कि दोनों देशों के खराब एवं तनावपूर्ण सम्बन्ध में ही उनका अस्तित्व कायम रह सकता है। इसलिए ये सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शान्ति प्रक्रियाओं का विरोध एवं असफल करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। कई समाचार माध्यमों का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान में बन्द भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत एवं जनवरी 2013 में कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक भारतीय सैनिक के सिर को काट कर अपने साथ ले जाने वाले पूरे प्रकरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई0एस.आई0 एवं कट्टरपंथी ताकतों की मिलीभगत है जो कभी नहीं चाहते कि परस्पर सम्बन्ध अच्छे बने रहे। इसलिए बीच-बीच में किसी न किसी तनावपूर्ण घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पाकिस्तान में उक्त आतंकवादियों के सैकड़ों मदरसे संचालित हो रहे हैं जिनमें तालीम के नाम पर हिंसा और नफरत सिखलाई जाती है तथा आतंकी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनके प्रशिक्षित आतंकवादियों के मस्तिष्क में यह कूट-कूट कर भरा गया है कि हिन्दू काफिर हैं और उनको नेस्तनाबूद करना मुसलमानों का प्रथम कर्तव्य है। 5

6. भारत पर अविश्वास - सन् 1971 के युद्ध के कारणों पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलता है कि किस तरह से अभी तक सत्ता का केन्द्र रहा पश्चिमी पाकिस्तान, जोकि आम चुनाव में पराजय के बावजूद एक बार पुनः सरकार बनाने की जिद में, सैन्य प्रशासक याहिया खान के आदेश पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है, में शेख मुजीबुर्रहमान के हजारों समर्थकों सहित वहां के

निर्दोष लोगों पर हिंसक कार्यवाही की गयी, जिससे जान बचाने के लिए लोग भारतीय सीमावर्ती राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने लगे और एक माह के अन्दर ही इन राज्यों में करोड़ों पूर्वी पाकिस्तानी घुसपैठ कर गये। जिसके कारण लूटपाट, हिंसक घटनाएं तथा स्थानीय कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसक कार्यवाही रोकने के बजाये पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर पूर्वी पाकिस्तान की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाकर भारत पर आक्रमण कर दिया। प्रति उत्तर में भारत द्वारा की गई कार्यवाही 3-16 दिसम्बर 1971 से बंगलादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने संयुक्त पाकिस्तान को तोड़ा है। भारतीय पक्ष को वह न ही सुनना और न ही समझना चाहता है। संशय, अविश्वास एवं आरोप-प्रत्यारोप के बीच समस्याएं हल नहीं की जा सकती और न ही शान्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। 7. चीन की दोहरी नीति - आज से करीब 2300 वर्ष पहले एक प्रश्न के जवाब में सिकन्दर ने कहा था कि पूर्व की तरफ मत देखो वहां एक दानव सो रहा है जिस दिन वो जाग जायेगा, पूरी दुनिया को निगल जायेगा। विस्तारवादी एवं विश्व महाशक्ति बनने की अति महत्वाकांक्षी चीन पर वह बात आज बिल्कुल सत्य ही जान पड़ती है। सन् 1962 के युद्ध में भारत के लगभग 50 हजार किमी. क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेने के बाद चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लगातार कूटनीतिक ढंग से प्रयोग कर रहा है। भारत-पाक के बीच सन् 1965 की जंग के पीछे भी चीन का ही दम था। काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान के सिंध प्रान्त तक अवैध सड़क मार्ग का निर्माण

कर वह पाकिस्तान के रास्ते अरबसागर व हिन्दमहासागर होते हुए मध्य-पूर्व से जुड़ गया है। अब तो चीन कराची बंदरगाह एवं निर्माणाधीन ग्वादर बंदरगाह के रास्ते भारत को घेरने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति हासिल करने के पीछे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन का हाथ रहा है। चीन पाकिस्तान को आर्थिक, एवं सैनिक मदद देकर उसका प्रयोग भारत को नियन्त्रित, सीमित एवं उलझाने का प्रयास कर रहा है। यही वे वजह हैं जिनके कारण पाकिस्तान कभी स्वविवेक से भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए शान्ति प्रयासों को अहमियत नहीं देता और हमेशा भारत को एक शत्रु ही समझता रहा है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त बिन्दुओं के वर्णन से स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली हेतु चलाई जा रही विभिन्न शान्ति प्रक्रियाओं के मध्य कई चुनौतियां एवं बाधाये उपस्थित हैं जिन्हें दूर किये बिना विश्वास उत्पादक कोई भी उपाय शायद ही कारगर हो। दोनों ही देशों को अधिक संजीदा एवं दृढनिश्चय होकर परस्पर विवादों को हल करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने होंगे। अभी तक पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति बेहद नकारात्मक एवं संभावित सभी मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने का रहा है। चीन की छत्रछाया से निकलकर एक जिम्मेदार लोकतान्त्रिक एवं सम्प्रभु राष्ट्र के सामान उसे अपने सारे निर्णय खुद लेने होंगे। पाकिस्तान को निश्चय करना होगा कि क्या आतंकवाद को पनाह देकर एक खुशहाल और विकासशील पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है ? क्या भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार की तरह प्रयोग करने से उसे खुद कुछ हासिल हो पायेगा

? उसे यह भी एकाग्र होकर चिंतन व मनन करना होगा कि क्या भारत से अपने रिश्तों को इसी तरह बिगाड़कर खुद पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाला है ? कश्मीर समस्या सहित अन्य विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे हेतु संवाद का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। यद्यपि जय अथवा पराजय का निर्णय जंग के मैदान में बारूद से अवश्य हो सकता है तथापि शान्ति की स्थापना हेतु प्रयास मेज पर कलम एवं संवाद के द्वारा ही हो सकता है, विशेषकर तब जब दोनों ही मुल्क आणविक हथियारों से सम्पन्न हो। कश्मीर समस्या जटिल अवश्य है परन्तु बातचीत के द्वारा इसका भी हल निकाला जा सकता है। जरूरत है विश्वासपूर्ण एवं सौहार्द्रमय वातावरण में राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति के साथ सार्थक बातचीत की। दक्षिण एशिया की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए भारत व पाकिस्तान के बीच सतत् शांति प्रयासों की आवश्यकता है। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विवाद को समाप्त करने के लिए रास्ता तलाशने की इच्छा न रखें तो भी इसे सीमित करने या नियंत्रण में रखने की संभावना तो तलाश ही सकते हैं। 6 परन्तु इससे दूर भागने अथवा बचने या नकारने से भयंकर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जो दोनों देश के लिए घातक होगा। सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण शान्ति प्रक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।

संदर्भ-

1. शुक्ल, कृष्णानन्द - हिमालय और भारतीय राज्य: एक विहंगावलोकन, तूणीर, अंक-13, 2010, रक्षा अध्ययन शोध समिति, महाराजगंज, उ.प्र., पृष्ठ सं.-112
2. संजय कुमार -अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली, संस्करण-2005, पृष्ठ सं.-146



3. पूर्वोक्त संदर्भ सं.1, पृष्ठ सं.-114
4. खंडेला मानचंद -अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 2002, पृष्ठ सं.- 93-94
5. पूर्वोक्त संदर्भ सं.4, पृष्ठ सं.-129
6. राघवन वी.आर. -सियाचिन अंतहीन संघर्ष, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2009, पृष्ठ सं.-157